प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी जनपद-औरैया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-37784/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024) दिनांक-12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, ककराही बाजार, थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/09 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201, 506, 147, 149, 342, 458 व 7 सी0आर0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष (अयोध्या प्रकरण)/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2024 तक 15 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा गंभीर अपराध किये जाने, बंदी की आयु 58 वर्ष है, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी राजनैतिक व्यक्ति है, जो पूर्व में विधायक रहा है व आपराधिक प्रवृत्ति का दबंग व्यक्ति है। पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना प्रतीत होने, बंदी को आगे जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी (बंदी संख्या-340/2020) पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी जनपद-औरैया के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-152/2025/2224(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-152/2025/2224/22-2-2024-17(188)/2024

दिनांक 21 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, ककराही बाजार, थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/09 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201, 506, 147, 149, 342, 458 व 7 सी0आर0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष (अयोध्या प्रकरण)/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2024 तक 15 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा गंभीर अपराध किये जाने, बंदी की आयु 58 वर्ष है, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी राजनैतिक व्यक्ति है, जो पूर्व में विधायक रहा है व आपराधिक प्रवृत्ति का दबंग व्यक्ति है। पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना प्रतीत होने, बंदी को आगे जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in